संख्याः 25 /XV-1/14/ 1(21)/10

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 07 जनवरी, 2014**

विषयः भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3130/नि०–5/एक(27)/चारा कार्यक्रम/13–14 दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में आयोजनागत योजना के अन्तर्गत कुल **₹ 150.04 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख चार हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न–बी०एम० 9 के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को प्रपत्र बी०एम० 8 के माध्यम से वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों का तथा कय संबंधी शासनादेशों में दी गई व्यवस्था व स्टोर परचेज नियमावली का पालन किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–06–पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (75 प्र०के०स०)–42–अन्य व्यय एवं 2403–पशुपालन आयोजनागत–00–107–चारा एवं चारागाह विकास–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–06–चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा संलग्नक–बी०एम०–9 के कॉलम संख्या–1 में दर्शायी गई मदों की बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–106(P)/XXVII-4/2013 दिनांक 28 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–उक्तानुसार बी०एम०–9

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 35 (1) / XV-1/ 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग।
9. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
अनु सचिव

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-एक)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
पशुपालन विभाग

अनुदान संख्या व नाम- 28
लेखाशीर्षक
मुख्य शीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनागत
उप मुख्य शीर्षक-00
लघु शीर्षक-107-चारा और चारागाह विकास-
उप शीर्षक-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-
विस्तृत शीर्षक-04-चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2013-14 (धनराशि ₹ हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में आयोजनागत/आयोजनेत्तर)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट मे आयोजनागत/आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (811)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2403-पशुपालन आयोजनागत-00-107-चारा एवं चारागाह विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-04-चारा बैंकों (भण्डारण एवं वितरण गृह) की स्थापना-42-अन्य व्यय	33800	33800	15004	15004	18796	2403-पशुपालन आयोजनागत-00-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-06पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (75 प्र.के.स.) 42-अन्य व्यय	18414	22379	3965	3965	22379
						2403-पशुपालन आयोजनागत-00-107-चारा एवं चारागाह विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-06-चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता 42-अन्य व्यय	12500	23539	11039	11039	23539
योग	33800	33800	15004	15004	18796	योग	30914	45918	15004	15004	45918

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

संख्या :-.. दिनांक

सेवा में,
महालेखाकार (ए एण्ड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर..........................
नाम व पदनाम :- (डा० रणबीर सिंह)
प्रशासनिक विभाग :- प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

हस्ताक्षर..........................
नाम व पदनाम..........................
वित्त विभाग ....

संख्या : 35/xv-1/14 दिनांक 7/01/2014

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक कोषागार 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियन्त्रक) अनुभाग-4

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम (अर्जुन सिंह)
वित्त विभाग। अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।